रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72
REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 525] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 4, 1985/अग्रहायण 13, 1907
No. 525] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 4, 1985/AGRAHAYANA 13, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मन्त्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1985

सा. का. नि. 881 (अ):—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

'सं. आ. 124

संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना)

द्वितीय संशोधन, आदेश, 1985

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 370 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से, निम्नलिखित आदेश करते हैं :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) द्वितीय संशोधन आदेश, 1985 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के पैरा 2 में,—

(क) उप-पैरा (4) (जो भाग 3 से संबंधित है) में खण्ड (ख) का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-पैरा (2) (जो भाग 16 से संबंधित है) में,—

(1) खण्ड (क) का लोप किया जाएगा,

(2) खण्ड (ख) और (ग) को खण्ड (क) और (ख) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खण्ड (क) में, "336, 337, 339 और 342" अंकों और अक्षर के स्थान पर "336 और 337" अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(3) इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) अनुच्छेद 339 के खण्ड (1) में "राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों" शब्दों के स्थान पर "राज्यों की अनुसूचित जनजातियों" शब्द रखे जाएंगे।'।

जैल सिंह,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 19 (1)/84—वि. 1]

व. वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 1985

G.S.R. 881(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

'C.O. 124

THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) SECOND AMENDMENT ORDER, 1985

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the President, with the concurrence of the Government of the State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order :—

1. (1) This Order may be called the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Second Amendment Order, 1985.

(2) It shall come into force at once.

2. In paragraph 2 of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954,—

(a) in sub-paragraph (4) (relating to Part III), clause(b) shall be omitted;

(b) in sub-paragraph (11) (relating to Part XVI) ,—

(i) clause (a) shall be omitted;

(ii) clause (b) and (c) shall be re-lettered as clauses (a) and (b), and in clause (a), as so re-lettered, for the figures and word "336, 337, 339 and 342' the figures and word "336 and 337" shall be substituted;

(iii) after clause (b), as so re-lettered, the following clause shall be inserted, namely:—

'(c) In clause (1) of article 339, the words "the administration of the Scheduled Areas and" shall be omitted.'.

ZAIL SINGH,
PRESIDENT

[No. F. 19(1)/84-LI]

R.V.S. PERI SASTRI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985